

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या-382/18

सन्तराम----बनाम----- वृजमोहन

निस्तारण प्रार्थना पत्र 26 ग 2

दिनांक-15.07.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण अमीन रिपोर्ट 26 ग 2 पेश है। प्रार्थना पत्र 26 ग 2 अमीन रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल है। वादी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें अमीन रिपोर्ट 26 ग 2 पर आपत्ति दाखिल नहीं करनी है।

प्रतिवादी द्वारा अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 26 ग 2 के विरुद्ध आपत्ति कागज संख्या 41 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अमीन महोदय ने वादी के प्रभाव में आकर महज वादी को लाभ पहुँचाने की नीयत से मौका एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत अपनी आख्या एवं नक्शा प्रस्तुत किये है। विवादित भूमि के दक्षिण स्थित छप्पर पोश निर्माण प्रतिवादी को वादी को होना दर्शित किया है। दौरान कमीशन उक्त छप्पर पर न्यायालय अमीन कमीशन महोदय ने स्वयं प्रतिवादी का कब्जा व दखल पाया और अपनी फील्ड बुक में नोट भी किया था। प्रस्तुत आख्या फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के प्रकाश में कमीशन रिपोर्ट मय मानचित्र कागज संख्या 26 ग 2 खारिज करने की याचना प्रतिवादी द्वारा की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा अमीन रिपोर्ट के विरुद्ध जो आपत्ति की गयी है वह तथ्य से संबंधित है जिसके लिये अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होगी। वादी द्वारा अमीन रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अमीन रिपोर्ट का निस्तारण वाद के अन्तिम निस्तारण के समय किया जाना उचित होगा। तदनुसार अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 26 ग 2 आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्य के अधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अमीन रिपोर्ट कागज सं० 26 ग 2 आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्याधीन पुष्ट किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र कागज संख्या 43 ग 2 दिनांक-20.07.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)

सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,

अम्बेडकरनगर।

जे०ओ० कोड यू०पी० 2520